



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)


(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर-332001)
 टेलीफोन नं. 01572-272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572-273100
 वेबसाइट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: affiliation.shekhauni@gmail.com

कमाक-प-1 () सम्बद्धता/प्रबन्ध मण्डल/2018/1799

दिनांक-26.05.2018


संशोधित आदेश

विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में संचालित अर्जुन राम टी.टी. कॉलेज, पुरा की ढाणी, एन.एच.-11 फतेहपुर रोड़, सीकर पर इस कार्यालय के आदेश कमाक- प-1 () सम्बद्धता/प्रबन्ध मण्डल/2018/1767 दिनांक-16.05.2018 द्वारा रुपये 03 (तीन) लाख की शास्ति लागू की गई। उक्त आदेश में टंकण की त्रुटि के कारण जॉच कमेटी द्वारा दिनांक 21.12.2017 को शिकायत की जॉच कर रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रस्तुत की, टंकित किया गया। उक्त आदेश में दिनांक 21.12.2017 के स्थान पर दिनांक 03.01.2018 पढा जावे।


 कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. कुलपति सचिवालय।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) राजस्थान, जयपुर।
4. परीक्षा नियंत्रक।
5. वित्त नियंत्रक।
6. प्राचार्य/सचिव अर्जुन राम टी.टी. कॉलेज, पुरा की ढाणी, एन.एच.-11 फतेहपुर रोड़, सीकर।
7. रक्षित पत्रावली।


 कुलसचिव



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)


(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर-332001)
 टेलीफोन नं. 01572-272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572-273100
 वेबसाइट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: affiliation.shekhauni@gmail.com

कमाक-प-1 () सम्बद्धता/प्रबन्ध मण्डल/2018/1800

दिनांक-१६.१.२०१८


संशोधित आदेश

विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में संचालित विकास टी.टी. कॉलेज, पुरा की ढाणी, एन. एच.-11 फतेहपुर रोड़, सीकर पर इस कार्यालय के आदेश कमाक- प-1 () सम्बद्धता/प्रबन्ध मण्डल/2018/1766 दिनांक-15.05.2018 द्वारा रुपये 03 (तीन) लाख की शास्ति लागू की गई। उक्त आदेश में टंकण की त्रुटि के कारण जाँच कमेटी द्वारा दिनांक 21.12.2017 को शिकायत की जाँच कर रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रस्तुत की, टंकित किया गया। उक्त आदेश में दिनांक 21.12.2017 के स्थान पर दिनांक 03.01.2018 पढा जावे।


 कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. कुलपति सचिवालय।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) राजस्थान, जयपुर।
4. परीक्षा नियंत्रक।
5. वित्त नियंत्रक।
6. प्राचार्य/सचिव विकास टी.टी. कॉलेज, पुरा की ढाणी, एन.एच.-11 फतेहपुर रोड़, सीकर।
7. रक्षित पत्रावली।


 कुलसचिव